न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 02/146/2015

1. नन्दू उर्फ नन्दलाल पुत्र देवीसहाय जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
2. फैली पुत्र छाज्या जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
3. सम्पत पुत्र छाज्या जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
4. श्रीनारायण उर्फ पप्पू दत्तक पुत्र बदरी जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
5. प्रभुदयाल पुत्र चन्दर जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ

– प्रार्थीगण

बनाम

1. पारा देवी पत्नि स्व. रणजीता जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
2. अजय कुमार पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
3. विजय कुमार पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
4. जमबाई पुत्री रणजीता जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
5. हन्सो देवी पुत्री रणजीता जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
6. राजन्ती पुत्री रणजीता जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
7. ताराबाई पुत्री कालूराम जाति मीणा निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थित – श्री मोहनलाल जैमन, एड. प्रार्थीगण
– श्री महेन्द्र कुमार तिवाडी, एड. अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 12.10.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट का इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 09, 71, 80, 491, 494, 506 किता 06 कुल रकबा 2.33 हैक्टेयर वाके ग्राम काली पहाडी तहसील राजगढ प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जो गत खसरा नम्बर 14, 156, 198, 202 मिन वाके काली पहाडी से बने हैं जो आराजी प्रार्थीगण 1 से 5 के पिता व 6 की खातेदारी में दर्ज था। इससे पूर्व खसरा नम्बर 275 मिन था जो प्रार्थीगण के बुजुर्ग चन्दर के नाम खातेदारी में था। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलती से हम प्रार्थीगण की आराजी उक्त को अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा 07 के पूर्वज रणजीता व कालूराम के नाम दर्ज कर दी जो काबिल दुरस्ती योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 लगा 07 ने रणजीता व कालू की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा दिया तथा गलत इन्द्राज की आड में हाल खसरा नम्बर 71 का अप्रार्थी संख्या 01 लगा 03 ने अप्रार्थी संख्या 04 के हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया है। अब अप्रार्थीगण गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी विवादित से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान करना चाहते हैं। यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.05.2015 को आराजी विवादित की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति आगामी दिनांक 10.06.2015 तक बनाये रखने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश जारी किए गए।

अप्रार्थीगण 01 लगा 07 असालतन/वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पहले खातेदार काश्तकार फरीकेन का बुजुर्ग नहन्या उर्फ नैना था। उक्त नहन्या उर्फ नैना के दो पुत्र चन्दर व मूल्या पैदा हुए तथा नहन्या उर्फ नैना के पुत्र मूल्या का स्वर्गवास उसके जीवनकाल में हो गया जिसके कारण आराजी विवादित नहन्या उर्फ नैना की मृत्यु के बाद अकेले चन्दर के नाम दर्ज हो गई। नहन्या उर्फ नैना के जीवनकाल में तथा उसकी मृत्यु के पश्चात मूल्या के दोनों पुत्र नानगा और रणजीता, चन्दर के साथ रहते थे। चन्दर के 04 लडके छीतर, छाज्या, बदरी, प्रभुदयाल हैं जिसमें प्रभुदयाल जीवित है व अन्य की मृत्यु हो गई। बदरी पुत्र चन्दर के एकमात्र पुत्री मूली देवी जीवित है। उसके द्वारा श्रीनारायण उर्फ पप्पू को गोद नहीं लिया इसलिए उसे वाद दायर करने का अधिकार नहीं है। नहन्या उर्फ नैना की आराजी 41 बीघा 14 बिस्वा को उसकी मृत्यु के बाद चन्दर के 04 लडकों व मूल्या के 02 लडकों ने बराबर बांट लिया। बन्दोबस्त कर्मचारी द्वारा सम्वत 2042 में खसरा परिशोधन पत्र द्वारा उक्त आराजी को छीतर, छाज्या, बदरी, प्रभुदयाल, नानगा व रणजीता में बराबर बंटवारा कर दिया। उसके बाद पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 71/0.82 का बेचान जो रामखिलारी मीणा को किया है वह उस पर काबिज है। इस वाद से पूर्व एक अन्य वाद न्यायालय श्रीमान के यहां भी नानगा के वारिसान जमूरी व अन्य द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दुरस्ती का पेश किया था। जिसमें प्रार्थना पत्र 212 भी पेश किया था जिस प्रार्थना पत्र का न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 11.05.2015 को निर्णय किया गया है। उस आदेश में भी न्यायालय श्रीमान द्वारा विवादित आराजी पर हम अप्रार्थीगण 01 से 07 का कब्जा माना व खातेदारी होना माना है। उस आदेश दिनांक 11.05.2015 के विरूद्ध नानगा के वारिसान द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील पेश की जिसका निर्णय दिनांक 14.07.2015 को हो चुका है। उक्त अपील निर्णय में भी न्यायालय श्रीमान के निर्णय दिनांक 11.05.2015 को यथावत रखा है। दिनांक 07.09.1999 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 71 की राजस्व विभाग द्वारा पैमाईश की गई थी। उस रिपोर्ट में भी अप्रार्थीगण का कब्जा माना था। बेचान के पश्चात खसरा नम्बर 71 पर रामखिलारी क्रेता का कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगा 03 व रामखिलारी पुत्र नारायण के विरूद्ध बाबत् निरस्त किये जाने बयनामा मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय के यहां प्रस्तुत किया है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 06.03.2017 को किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्य मनगढंत व निराधार होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा बहस वकुलाय सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि हाल खसरा नम्बर 09, 71, 80, 491, 494, 506 किता 06 कुल रकबा 2.33 हैक्टेयर वाके ग्राम काली पहाडी तहसील राजगढ प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जो गत खसरा नम्बर 14, 156, 198, 202 मिन वाके काली पहाडी से बने हैं जो आराजी प्रार्थीगण 1 से 5 के पिता व 6 की खातेदारी में दर्ज था। इससे पूर्व खसरा नम्बर 275 मिन था जो प्रार्थीगण के बुजुर्ग चन्दर के नाम खातेदारी में था। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलती से हम प्रार्थीगण की आराजी उक्त को अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा 07 के पूर्वज रणजीता व कालूराम के नाम दर्ज कर दी जो काबिल दुरस्ती योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 लगा 07 ने रणजीता व कालू की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा दिया तथा गलत इन्द्राज की आड में हाल खसरा नम्बर 71 का अप्रार्थी संख्या 01 लगा 03 ने अप्रार्थी संख्या 04 के हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया है। अब अप्रार्थीगण गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी विवादित से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान करना चाहते हैं। चूंकि आराजी के पूर्व में खातेदार प्रार्थीगण के बुजुर्गान थे। अप्रार्थीगण के नाम गलत इन्द्राज हो गया। कब्जाकाश्त प्रार्थीगण का है इसलिए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल किया जाता है तो उसे नापूर्ति होने वाली क्षति भी साबित है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2039, मिलान क्षेत्रफल 2046, जमाबन्दी 2020, 2012 व हाल जमाबन्दी की नकल पेश की गई।

बहस में वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि उपरोक्त विवादित आराजी पर पहले खातेदार काश्तकार फरीकेन का बुजुर्ग नहन्या उर्फ नैना था। उक्त नहन्या उर्फ नैना के दो पुत्र चन्दर व मूल्या पैदा हुए तथा नहन्या उर्फ नैना के पुत्र मूल्या का स्वर्गवास उसके जीवनकाल में हो गया जिसके कारण आराजी विवादित नहन्या उर्फ नैना की मृत्यु के बाद अकेले चन्दर के नाम दर्ज हो गई। नहन्या उर्फ नैना के जीवनकाल में तथा उसकी मृत्यु के पश्चात मूल्या के दोनों पुत्र नानगा और रणजीता, चन्दर के साथ रहते थे। चन्दर के 04 लडके छीतर, छाज्या, बदरी, प्रभुदयाल हैं जिसमें प्रभुदयाल जीवित है व अन्य की मृत्यु हो गई। बदरी पुत्र चन्दर के एकमात्र पुत्री मूली देवी जीवित है। उसके द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीनारायण उर्फ पप्पू को गोद नहीं लिया इसलिए उसे वाद दायर करने का अधिकार नहीं है। नहन्या उर्फ नैना की आराजी 41 बीघा 14 बिस्वा को उसकी मृत्यु के बाद चन्दर के 04 लडकों व मूल्या के 02 लडकों ने बराबर बांट लिया। बन्दोबस्त कर्मचारी द्वारा सम्वत 2042 में खसरा परिशोधन पत्र द्वारा उक्त आराजी को छीतर, छाज्या, बदरी, प्रभुदयाल, नानगा व रणजीता में बराबर बंटवारा कर दिया। उसके बाद पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 71/0.82 का बेचान जो रामखिलारी मीणा को किया है वह उस पर काबिज है। इस वाद से पूर्व एक अन्य वाद न्यायालय श्रीमान के यहां भी नानगा के वारिसान जमूरी व अन्य द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दुरस्ती का पेश किया था। जिसमें प्रार्थना पत्र 212 भी पेश किया था जिस प्रार्थना पत्र का न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 11.05.2015 को निर्णय किया गया है। उस आदेश में भी न्यायालय श्रीमान द्वारा विवादित आराजी पर हम अप्रार्थीगण 01 से 07 का कब्जा माना व खातेदारी होना माना है। उस आदेश दिनांक 11.05.2015 के विरूद्ध नानगा के वारिसान द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील पेश की जिसका निर्णय दिनांक 14.07.2015 को हो चुका है। उक्त अपील निर्णय में भी न्यायालय श्रीमान के निर्णय दिनांक 11.05.2015 को यथावत रखा है। दिनांक 07.09.1999 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 71 की राजस्व विभाग द्वारा पैमाईश की गई थी। उस रिपोर्ट में भी अप्रार्थीगण का कब्जा माना था। बेचान के पश्चात खसरा नम्बर 71 पर रामखिलारी क्रेता का कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगा 03 व रामखिलारी पुत्र नारायण के विरूद्ध बाबत् निरस्त किये जाने बयनामा मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय के यहां प्रस्तुत किया है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 06.03.2017 को किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। आराजी विवादित का खातेदार मुताबिक रिकॉर्ड हाल जमाबन्दी के अनुसार अप्रार्थीगण है जिसकी पुष्टी प्रस्तुत जमाबन्दी हाल नकल के इन्द्राज से होती है। उनके द्वारा इसी आराजी के हाल खसरा नम्बर 71/0.82 को लेकर पूर्व वाद संख्या 02/38/2011 निर्णय दिनांक 11.05.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ व अपील संख्या 18/2015 निर्णय दिनांक 14.07.2015 न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर व निर्णय दिनांक 06.03.2017 न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय राजगढ की नकल प्रति भी पेश कर निवेदन किया कि उक्त न्यायालय श्रीमान द्वारा आराजी विवादित पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त माना जाकर प्रार्थीगण की अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार की जा चुकी है। आराजी विवादित के अप्रार्थीगण खातेदार हैं इसलिए प्राइमाफेसी केस सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण को नहीं हो सकती है क्योंकि वो आराजी विवादित के वर्तमान में खातेदार नहीं हैं तथा आराजी पर उनका कब्जाकाश्त भी नहीं है पूर्व निर्णयों में भी आराजी विवादित पर अप्रार्थीगण का ही कब्जाकाश्त न्यायालय श्रीमान व अपील न्यायालय द्वारा माना गया है। इसके अतिरिक्त किसी खातेदार को उसकी खातेदारी आराजी से उसके उपयोग व उपभोग के लिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित नहीं है अर्थात रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इस सम्बन्ध में नजीर आर.आर.डी. 2007 पेज 438, 2014 पेज 463 पेश की गई। उक्त प्रकरण में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य स्पष्ट साबित है कि विवादित आराजी के अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं। इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है, प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

मैंने बहस वकुलाय पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2064–67 खाता संख्या 92 ग्राम काली पहाडी के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पूर्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ दिनांक 11.05.2015 व अपील निर्णय माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर दिनांक 14.07.2015 व न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय राजगढ निर्णय दिनांक 06.03.2017 के अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजी जिसके कि अप्रार्थीगण वर्तमान में खातेदार हैं में से एक खसरा नम्बर संख्या 71/0.82 से सम्बन्धित पूर्व वादों में अप्रार्थीगण की खातेदारी मानते हुए इस न्यायालय व अपील न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में भी पूर्व वाद के समान ही तथ्य यह हैं कि आराजी विवादित के वर्तमान खातेदार अप्रार्थीगण हैं और अप्रार्थीगण का ही प्रथम दृष्टया कब्जाकाश्त माना जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है साथ ही रिकॉर्डेड खातेदार को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजीर उक्त वाद पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल अस्वीकार पाया जाता है । अतः आदेश है कि :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. हाल आराजी खसरा नम्बर 09, 71, 80, 491, 494, 506 किता 06 कुल रकबा 2.33 हैक्टेयर वाके ग्राम काली पहाडी तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है । इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 22.5.2015 का प्रचलन निरस्त किया जाता है । निर्णय आज दिनांक 12.102018 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)